

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 3480 / 2023

दिनांक 24.11.2023

श्री परमवीर सिंह चौहान (RJ00312), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, बांसवाड़ा को दिनांक 16.10.2023 से 21.10.2023 तक 06 दिनों का परावर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्री चौहान की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बांसवाड़ा ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, बांसवाड़ा के पद पर ही की गई।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4) / 16 / 2000 / 7502

दिनांक 24.11.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, बांसवाड़ा को उनके पत्रांक 79 दिनांक 25.10.2023 के सन्दर्भ में ।
3. श्री परमवीर सिंह चौहान (RJ00312), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, बांसवाड़ा ।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बांसवाड़ा ।

सहायक रजिस्ट्रार